दिनांक 18.01.2023 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) प्रबंधकीय समिति का बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– पंजी में संधारित

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार की अध्यक्षता में "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" के प्रबंधकीय समिति की दिनांक 18.01.2023 को बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई :–

1. डी0एम0एफ0टी0 लातेहार के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को परिभाषित करने के संदर्भ में डी0एम0एफ0टी0 प्रबंधन समिति की बैठक में विचार विमर्श किया गया। लातेहार जिला के संदर्भ में उग्रवादी संगठन खनन क्षेत्रों में आकर धमकाने/फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम देते हुए महुआडांड़, गारू, हेरहंज के घने जंगलों में शरण ले लेते हैं, इसलिए यह करना उचित होगा कि सामाजिक दृष्टिकोण में विकास से लातेहार के गैर खनन क्षेत्र के निवासी भी वामपंथी एवं अन्य उग्रवादी संगठनों के उनके क्षेत्र में उपस्थित रहने से अभी तक भी वंचित रहे हैं और आज भी आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं का इन क्षेत्रों में अभाव है। लातेहार जिला के महुआडांड़, गारू, हेरहंज, बारियातू आदि प्रखण्डों में वामपंथी विचारधारा का प्रभाव बचा हुआ है। प्रायः यह देखा गया है कि देश में इस प्रकार के खनन प्रभावित क्षेत्रों में हीं वामपंथी एवं अन्य उग्रवादी संगठन अपना पांव पसारे हुए हैं। इस प्रकार से घने जंगल वाले क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक दुष्प्रभाव खनन क्षेत्र होने के कारण हो रहा है। उपायुक्त, लातेहार (डी0एम0एफ0टी0) प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा प्रभागीय वन पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा सुझाव दिए कि पर्यावरण की दृष्टि से भी गैर खनन प्रखण्ड/क्षेत्र प्रभावित हैं, उक्त दोनों तथ्यों के आधार पर सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति के सभी सदस्यों के द्वारा स्वीकार किया गया, कि लातेहार जिला में गैर–खनन प्रखण्डों के सभी पंचायतों/गॉवों को डी0एम0एफ0टी0 के अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिससे कि उपलब्ध राशि के सदुपयोग से इन क्षेत्रों का विकास करके मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।

   (अनुपालन : डी0एम0एफ0टी0 पी0एम0यू0)

2. "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" (DMFT) की प्रबंधकीय समिति की चर्चा के क्रम में खनन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों की सूची ग्रामवार/पंचायतवार/

प्रखण्डवार तैयार कराने का निर्णय, पी0एम0के0के0वाई के दिशा निर्देशों के अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों के सीधे प्रभावित व्यक्तियों की सूची तैयार कराने हेतु निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति के द्वारा ली गई।

(अनुपालन : डी0एम0एफ0टी0 पी0एम0यू0)

3. "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" (DMFT) PMU Cell को वित्तीय वर्ष 2023—2024 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करते हुए प्रबंधकीय समिति के प्रस्ताव से न्यासपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : डी0एम0एफ0टी0 पी0एम0यू0)

4. न्यास परिषद् से निर्धारित समय—सीमा पर तैयार वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं इसे पहले तिमाही में स्वीकृति प्राप्त कराने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2022—23 का भी पुराना वार्षिक कार्य योजना लंबित है, इसे भी तैयार कराने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : डी0एम0एफ0टी0 पी0एम0यू0)

5. "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" (DMFT) प्रबंधकीय समिति के द्वारा सुझाव दिया गया कि डी0एम0एफ0टी0 पी0एम0यू0 सेल, जिला लेखा पदाधिकारी लातेहार से समन्वय स्थापित कर त्रैमासिक आंतरिक अंकेक्षण नियमिति रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : डी0एम0एफ0टी0 पी0एम0यू0 एवं जिला लेखा पदाधिकारी, लातेहार)

6. "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" (DMFT) लातेहार अन्तर्गत प्रबंधकिय समिति में जिला अंतर्गत विभिन्न ग्राम सभा के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों (Annexure संलग्न) पर विमर्श किया गया। जिसमें उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के योजना लिखित विभिन्न प्रस्तावो की उल्लेख :—

   - बारियातू / बालुमाथ प्रखण्ड अंतर्गत महिला समूह के संकूलो के माध्यम से टमाटर प्रोसोसिंग प्लांट को अधिष्ठापन का प्रस्ताव।

     इस प्रस्ताव पर DMFT लातेहार के प्रबंधन समिति विचार विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से **डी0पी0एम0यू0**(जे0एस0एल0पी0एस0) लातेहार को एफ0पी0ओ0 /पी0जी0 / एस0एच0जी0 के माध्यम से टमाटर प्रोसोसिंग प्लांट का अधिष्ठापन का सुझाव दिया गया। इस प्रक्रिया में प्रबंधन समिति जे0एस0एल0पी0एस0 को वैसे एफ0पी0ओ0 / पी0जी0 / एस0एच0जी0 को चयन करने का सुझाव दियें, जो टमाटर प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु अपने

स्तर से स्वयं की राशि/ऋण की सुविधा प्राप्त कर अनुपात 20% लाभार्थी अंशदान हेतु योगदान कर सके। इससे वे उस प्लांट के रख–रखान में ज्यादा रूचि लेंगे।

(अनुपालन : डी0पी0एम0, जे0एस0एल0पी0एस0, लातेहार)

- समिति के सदस्य के द्वारा संज्ञान में लाया गया कि बालूमाथ प्रखण्ड के अनेक युवक/युवतियां देश के विभिन्न कोने में Hospitality में कार्यरत हैं। अतएव यहॉ पर प्रशिक्षण का अच्छा स्कोप है। एक कैरिकुलम तैयार करते हुए प्रतिवर्ष 50 युवक/युवतियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोला जा सकता है।

(अनुपालन : स्कील डेवलेपमेंट विभाग)

- खेल शिक्षा/प्रशिक्षण हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ। स्प्रिंट, रिले, तीरंदाजी, शूटिंग, शॉर्ट--पुट, जेवलिन, ट्रैक इवेंट, हॉकी, फुटबाल आदि जैसे ओलंपिक प्रतियोगिताओं के एथलीटों की खोज के लिए प्रखण्डों एवं जिला मुख्यालय में स्पोर्टस कॉम्पलेक्स को अधिष्ठापन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सहमति दी गई।

(अनुपालन : जिला खेल पदाधिकारी, लातेहार,/सभी अंचल अधिकारी, जिला–लातेहार)

7. विभिन्न ग्रामसभा के द्वारा प्राप्त MTC केन्द्र स्थाापित करने हेतु प्रस्ताव के आधार पर उक्त स्थलों पर पोषण घर स्थाापित करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया जिसमें संचालन हेतु आवश्यक Manpower का DMFT द्वारा पूर्णतः अस्थायी तौर पर चयन करने का भी अनुमोदन दिया गया।

(अनुपालन : **सिविल सर्जन/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार**)

8. विभिन्न ग्रामसभा के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा के उपरांत सिविल सर्जन, लातेहार को लातेहार जिला में दिव्यांग व्यक्तियों की एक सूची तैयार करने और एलिम्को के माध्यम से 100 प्रतिशत सब्सिडी के साथ सहायक उपकरणों का क्रय कर वितरण में सहायता करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया तथा जिला अंतर्गत सभी सरकारी भवनों/कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगमता पूर्वक आवागमन हेतु रैम्प का प्रस्ताव जिला परिषद् के सदस्यों के द्वारा ग्राम सभा में लाने का सुझाव दिया गया जिसमें सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति के द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(अनुपालन : **जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/सिविल सर्जन, लातेहार /अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार)**

9. विभिन्न ग्रामसभा के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं स्कूल में शिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं की सुरक्षा एवं सुरक्षित शिक्षण के माहौल को ध्यान में रखते हुए चाहरदीवारी निर्माण हेतु जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट मद से प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : **जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार/जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार**)

10. विभिन्न ग्रामसभा के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत नेतरहाट क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना को देखते हुए SHG एवं Joint Forest Management Group इत्यादि को आजीविका के साधन पैदा करने के स्त्रोत के रूप में नेतरहाट के पीवीटीजी, एसटी आदि समूहों को (PVTG - 90% एवं ST & Others - 80%) प्रतिशत सब्सिडी पर Home Stay/Tree House के निर्माण का लाभ प्रदान कराने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : **डी0पी0एम0, जे0एस0एल0पी0एस0, लातेहार एवं डी0एम0एफ0टी0 पी0एम0यू0**)

11. विभिन्न ग्रामसभा के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत बारियातू/हेरहंज प्रखण्ड में सी0एच0सी0 निर्माण एवं डी0एम0एफ0टी0 निधि से वैसे स्वास्थ्य केन्द्रों में जहाँ स्टाफ एवं सामग्री की उपलब्धता नहीं है को भारत सरकार के मानक (IPHS) के अनुरूप कार्य करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : अंचल अधिकारी, बारियातू/हेरहंज़ एवं सिविल सर्जन, लातेहार)

12. ग्रामसभा के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत डी0एम0एफ0टी0 के द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड /जिला स्तर पर पब्लिक लाइब्रेरी के निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। निर्मित किये जाने वाले लाईब्रेरी में Computer व Internet के माध्यम से E-Learning तथा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार/जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार)

13. ग्रामसभा से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत जिला स्तर पर अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग से आने वाले छात्राओं के लिए महिला छात्रावास का निर्माण तथा छात्रावास के संचालन के लिए सेवानिवृत शिक्षक/शिक्षिकाओं को वार्डन/केयर टेकर के रूप में व अन्य स्टाफ रसोईया, सुरक्षा गार्ड अस्थाई रूप से नियुक्त करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

14. ग्रामसभा के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत जिलास्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण कराने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार / जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार)

15. प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत बहुद्देशीय भवन, लातेहार का मरम्मति तथा नवनिर्मित बहुद्देशीय भवन में शिक्षकों / किसानों / स्वयं सहायता समूह तथा अन्य को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार / प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0)

16. प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत कूड़ा निस्तारण इकाई स्थापित करने का सुझाव उपायुक्त –सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार को दिया गया। जिसके उपरांत उपायुक्त –सह–अध्यक्ष महोदय ने PMU-Cell/डी0एम0एफ0टी0–कोषांग को नेतरहाट क्षेत्र में जैविक कचरे के संग्रहण एवं पृथक्करण केन्द्र करने का निर्णय ग्रामसभा से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : जिला परिषद् सदस्य महुआडांडद्य / ग्राम पंचायत, नेतरहाट)

17. जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट अंतर्गत क्रियान्वयन की जाने वाली योजनाओं के चयन हेतु ग्राम सभा को सुदृढ़ करने के लिए प्रखण्ड / पंचायत स्तर पर PMKKY Guideline के अनुरूप सभी पंचायत स्तरीय Functionary का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार / प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0)

18. जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट संबंधित पॉच फोटोग्राफ (कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य प्रगति के दौरान एवं कार्य समाप्ति के उपरांत) संचिका में संरक्षित करने हेतु Same Angle Same Location से फोटो प्राप्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व प्रस्तावों के लिए एवं अलग–अलग संचिकाएं बनाएंगे। संचिका में निम्नलिखित विवरणी रखेंगे :–

- ग्राम सभा की संबंधित योजना की पारित कंडिका वाली कार्यवाही की प्रति।
- संबंधित कार्य 05 वर्ष के अंदर किसी अन्य मद से नहीं हुआ है के संबंध में प्रमाण पत्र (संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी के स्तर से)
- 05 फोटोग्राफ
- संबंधित भूमि का विवाद रहित व हल्का कर्मचारी व अंचल निरीक्षक से नक्शा प्रतिवेदित होना चाहिए।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार / प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0 /

सभी कार्यकारी एजेंसी/सभी अंचलाधिकारी, जिला – लातेहार)

19. डी0एम0एफ0टी0 योजनाओं की वर्ष वार सूची तैयार करने एवं उनकी योजना संख्या, कार्य प्रारंभ होने की तिथि, कार्य की अवधि, कितने समय से लंबित है, कार्य पूर्ण होने की तिथि और उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित राशि शामिल हो। इस कार्य में विगत वित्तीय वर्ष में संचालित योजनाओं की सूची तैयार करते हुए समानांतर रूप से वर्तमान वित्तीय वर्ष में संचालित योजनाओं की भी सूची तैयार कराने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0)

20. PMU Cell को डी0एम0एफ0टी0 के वेबसाईट में पूर्व से अपलोड डाटा को निरंतर अपडेट कराने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0)

21. डी0एम0एफ0टी0 कोषांग को संचालन हेतु GEM Portal/Tender के माध्यम से विभिन्न सामग्रियों का क्रय करने तथा क्रय की जानेवाली वस्तुओं का अनुमोदन न्यास परिषद् से पारित कराने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0)

22. ग्रामसभा से प्राप्त ऐसे सभी जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्र जो भवन प्रमंडल, लातेहार के द्वारा कंडम घोषित कर दिया गया हो, वैसे आंगनबाड़ी केन्द्रों को तत्काल निर्माण/जीर्णाद्धार हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, लातेहार को पत्र देने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(**अनुपालन** : उप विकास आयुक्त, लातेहार/**जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार एवं भवन प्रमंडल, लातेहार**)

23. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना पर काम करने और इस वित्तीय वर्ष से पूर्व उपलब्ध कराने हेतु डी0एम0एफ0टी0, PMU Cell को पत्र देने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0)

24. ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्ताव में हब एवं स्पोक मॉडल के साथ ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना के लिए सुझाव दिए, जहां बायोमास प्रदान करने वाले वन क्षेत्र स्पोक के रूप में कार्य करेंगे और केन्द्री कृत स्थान पर एक ब्रिकेटिंग प्लांट होगा जो हब के रूप में कार्य करेगा। उपायुक्त–सह–अध्यक्ष के द्वारा विभिन्न पीजी चयनित करने एवं स्पोकमॉडल के स्पोक के रूप में बायोमास को संग्रहण कराने का निर्णय लिया गया

और उक्त कार्य हेतु चयनित एक एफ0पी0ओ0/पी0जी0 को ब्रिकेटिंग प्लांट संचालन करने हेतु इस मॉडल में हब के रूप में कार्य करेंगे। चयनित एफ0पी0ओ0/पी0जी0 योजना को प्राप्त करने हेतु कुल लागत के लाभार्थी अंशदान का 20% निवेश करेंगे। अध्यक्ष ने डी0एम0एफ0टी0 से इस संबंध में समन्वय स्थापित करने हेतु निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार /डी0पी0एम0, जे0एस0एल0पी0एस0, लातेहार)

25. PMU Cell/डी0एम0एफ0टी0 कोषांग से पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट पर काम कराने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार)

26. ग्राम सभा के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव में विभिन्न वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका सृजन के लिए पांच दुकान ईकाईयों (अष्टकोणीय मॉडल) की स्थापना का सुझाव दिया, जिस पर प्रबंधकीय समिति द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उक्त के संबंध में जहाँ ये मॉडल स्थापित किए जा सकते हैं से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त कराने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/डी0एम0एफ0टी0 सेल/सभी अंचलाधिकारी, जिला – लातेहार)

27. पूर्व में संचालित PMU TRY के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 का वार्षिक व्यय प्रतिवेदन एवं वार्षिक कार्य योजना का संधारण नहीं किया जाने के कारण TRY को किये गये भुगतान की राशि वापस करने/अंतिम भुगतान करने करने के पूर्व प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार को संबंधित कंपनी को स्पष्टीकरण करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रबंधकीय समिति द्वारा लिया गया।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0)

28. डी0एम0एफ0टी0 के कार्य में प्रगति लाने के उद्देश्य से प्रबंधकीय समिति के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डी0एम0एफ0टी0 के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों से ली गई योजनाओं को लंबित रखने वाले संवेदकों को नया कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा क्योंकि ऐसे संवेदक पूर्व के आवंटित योजना के साथ ही नये आवंटित योजनाओं को भी लंबित रखते हैं।

(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, लातेहार/प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0/सभी कार्यकारी एजेंसी)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।

ज्ञापांक /निर्वा0, दिनांक /01/2023

प्रतिलिपि :– डी0एम0एफ0टी0 प्रबंधकीय समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार / महुआडांड / जिला खेल पदाधिकारी / जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी कार्यकारी एजेंसी, लातेहार जिला / डी0पी0एम0, जे0एस0एल0पी0एस0, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थप्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।